

राज्य लोकसेवाअधिकरण, इन्दिराभवन, लखनऊ।

न्यायालय संख्या-4

उपस्थित-मा० श्री विनोद कुमार-III, उपाध्यक्ष (न्या०)।

निर्देश याचिका सं०-2090/2018

बलवन्त सिंह

.....याची

बनाम

उ० प्र० राज्य एवं अन्य।

...प्रतिपक्षीगण।

आदेश

1. याचिका प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। याची की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। याची की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया है। **Revised list** के अनुसार पुकार कराने पर भी याची की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षीगण की तरफ से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपस्थित।
2. अतएव प्रस्तुत याचिका याची की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में मात्र (बिना गुण-दोष पर सुने एवं विचार किये) निरस्त किया जाता है।
3. पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 20.08.2026

ह०/-

(विनोद कुमार-III)  
उपाध्यक्ष (न्यायिक)